कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील प्रकरण सं0 22/2003 (RCMS 2003/0000) अनवान लक्ष्मी पत्नी लक्ष्मणराम जाति बावरी निवासी 87 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. बलदेव सिंह पुत्र चनन सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 17 एस.जे.एम. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर 2. नायब तहसीलदार, राजस्व अनूपगढ 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, राजस्व अनूपगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.08.2019

पत्रावली पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री जीतपाल सैनी एवं रेस्पोडेंट के अधिवक्ता श्री पृथ्वीराज शर्मा उपस्थित है। बहस पूर्व में दिनांक 05.08.2019 को सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि :

नायब तहसीलदार, अनूपगढ में नामान्तरण संख्या 63 निर्णय दिनांक 22.11.2001 से चक 24 ए.पी.डी. के मुरब्बा नम्बर 290/415 की 21 बीघा 16 बिस्वा भूमि को आराजी राज दर्ज करने का आदेश दिया था जिसके विरूद्ध प्रार्थीया ने अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ के अपील प्रस्तुत की, अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ ने दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 18.02.2002 को अपील खारिज कर दी, इसके विरूद्ध सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, संभागीय आयुक्त, बीकानेर ने दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 09.09.2003 को प्रकरण जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की, संभागीय आयुक्त के आदेश के विरूद्ध प्रार्थीया ने राजस्व मण्डल, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की, राजस्व मण्डल अजमेर ने निगरानी दिनांक 23.01.2015 को खारिज कर दी और

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सम्भागीय आयुक्त बीकानेर का. निर्णय दिनांक 09.09.2003 बहाल रखा जिसमें मामला श्रीमान् जिला कलक्टर को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया था कि अपीलांट को सुनवाई का अवसर देते हुए इस मामले में विस्तृत जांच कराई जावे, प्रकरण में आवंटन फर्जी पाये जाने पर फर्जी आवंटन आदेश के आधार पर राजस्व अभिलेख में अंकन कराने के संबंध में आवंटित रेस्पो. संख्या 1 श्री बलदेव सिंह के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

उभयपक्षो के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पूर्व आवंटी मृतका धुड़ी के वारिसान सोहन लाल अरोड़ा की ओर से अभिभाषक श्री पृथ्वीराज शर्मा का कथन था कि चक 2 एपीडी का मुरब्बा नम्बर 290/415 की 25 बीघा भूमि दिनांक 25.05.1976 को धुडी बेवा गंगाराम नायक को आवंटन हुई थी तथा उसके द्वारा कुछ किश्ते भी जमा भी करवाई गई थी, परन्तु पूर्ण किश्ते जमा न करवाने के अभाव में उक्त भूमि रकबाराज घोषित कर दी गई।

उनका आगे कथन था कि अप्रार्थी बलदेव सिंह ने उक्त मुरब्बा नम्बर 290/415 की 25 बीघा भूमि से फर्जी आवंटन के माध्यम से 21 बीघा 16 बिस्वा भूमि आवंटन करवाई और उसके द्वारा फर्जी आवंटन आदेश के आधार पर 21 बीघा 16 बिस्वा भूमि सनद जारी करवाकर श्रीमती लक्षी देवी पत्नि लक्ष्मणराम जाति बावरी साकिन 87 जीबी अनूपगढ को दिनांक 10.06.1998 को रजिस्टर्ड बैयनामा करवा दिया और इस आवंटन आदेश के आधार पर बलदेव सिंह को कोई वैद्य अधिकार प्राप्त नहीं होता है और न ही उसके द्वारा बेचाननामा से लक्ष्मी देवी पत्नि लक्ष्मण राम को कोई वैद्य अधिकार/स्वामित्व प्राप्त होता है इसलिए बलदेव सिंह के आवंटन के फर्जी होना पाए जाने पर तहसीलदार,अनूपगढ द्वारा

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इंतकाल संख्या 63 दिनांक 21.11.2001 को किया गया था, वह अब निरस्त हो चुका है।

उनका आगे यह कथन था कि चूंकि पूर्व में विवादग्रस्त भूमि मुरबबा नम्बर 290/415 मृतका धुडी को आवंटित थी और उक्त भूमि किश्तों के अभाव में धुडी के नाम से खारिज की गई थी और अब उक्त भूमि बलदेव सिंह व लक्ष्मी देवी के नाम से खारिज हो चुकी है इसलिए धुड़ी मृतका के वारिसान से बकाया किश्ते जमा करवाकर रकबा बहाल किया जावे एवं लक्ष्मी देवी की अपील खारिज की जावे।

इसके विपरीत लक्ष्मी देवी अभिभाषक का कथन था कि राजस्थान उपनिवेशन इंदिरा नहर परियोजना भूमि आवंटन नियम 1975 के सक्षम अधिकारी द्वारा बलदेव सिंह को विवादग्रस्त भूमि का पुख्ता आवंटन दिनांक 01.06.1979 को किया गया तथा उक्त आवंटन के आधार पर दिनांक 15.05.1998 को बलदेव सिंह को सनद जारी कर दी गई तो फिर बलदेव सिंह को किया गया आवंटन फर्जी कैसे है? तहसीलदार को उक्त भूमि की जांच करने का अधिकार नहीं है तथा तहसीलदार द्वारा जो जांच की गई है व अधूरी है और जिस तहसीलदार द्वारा इंतकाल खारिज किया गया है उसी द्वारा जांच की गई है। जो मूल आवंटन पत्रावली के नहीं हो सकती है। विवादग्रस्त भूमि की सनद कलक्टर महोदय द्वारा बनाई गई है तो तहसीलदार आवंटन के सम्बन्ध में कैसे जांच कर सकता है। किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवाई जानी चाहिए थी।

उनका आगे यह भी कथन है कि बलदेव सिंह को सक्षम अधिकारी द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन दिनांक 06.01.1979 को किया गया था और तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी के द्वारा दिनांक 12.01.1998 को बलदेव सिंह को किश्ते भी जमा करवाने का आदेश दिया गया, जिस पर बलदेव सिंह ने चार किश्ते भी जमा

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

करवाई दी थी जो सेल रजिस्टर कें पृष्ठ संख्या 24 पर दर्ज है। इस आवंटन आदेश व सनद को आज दिनांक तक सक्षम न्यायालय में अपील/निगरानी के माध्यम से खारिज नहीं करवाया गया है। इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि का आंवटन आज भी प्रभाव में हैं इसलिए वादग्रस्त भूमि को कानूनन आराजीराज नही किया जा सकता था।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थिया लक्ष्मी देवी ने बलदेव सिंह को उचित प्रतिफल अदा करके बलदेव सिह से वादग्रस्त भूमि चक 25 एपीडी के मुरब्बा नम्बर 290/415 की कुल 21 बीघा 16 बिस्वा पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की है और नायब तहसीलदार, अनूपगढ ने सुनवाई का अवसर दिये बिना ही नामान्तरण संख्या 63 के द्वारा विवादित भूमि आराजी राज करने का आदेश दिया है, जो कि अनुचित है। प्रार्थिया का विक्रय पत्र आज भी प्रभावी है और विवादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थियां की खातेदारी में थी और बैयनामा दिनांक 10.06.1998 को उक्त वादग्रस्त भूमि विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी और उसी दिन कब्जा संभाल लिया था और तब से आज तक वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थिया ही काबिज चली आ रही है और काश्त कर रही है।

उनका आगे यह भी कथन है कि पूर्व में धुडी बेवा धनाराम कौम नायक को दिनाकं 25.05.1976 को अलॉट हुई थी जो किश्तें जमा न करवाने के कारण रकबा राज घोषित कर दी थी इसलिए धुडी के वरिसों को इस भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका आवंटन पहले ही खारजि हो गया था, जिसकी उन्होनें आज तक अपील नहीं की है। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जावे और बलदेव सिह को किया गया आवंटन वैद्य घोषित किया जावे तथा नायब तहसीलदार अनूपगढ द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरण संख्या 63 दिनांक 22.11.2001 खारिज किया जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें उभयपक्षों के अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार राजस्व, अनूपगढ दिनांक 17.09.2012 का और समस्त पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि नायब तहसीलदार, अनूपगढ ने नामान्तरकरण संख्या 63 निर्णय दिनांक 22.11.2001 से चक 24 एपीडी के मुरब्बा नम्बर 290/415 की 21 बीघा 16 बिस्वा भूमि को आराजीराज दर्ज करने का आदेश दिया। इसके विरूद्ध वर्तमान प्रार्थिया लक्ष्मी देवी ने अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ ने दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय दिनांक 18.02.2002 से अपील खारिज कर दी। इसके विरूद्ध संभागीय आयुक्त, बीकानेर के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर ने दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय दिनांक 09.09.2003 से प्रकरण जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की। उक्त आदेशों से व्यथित होकर प्रार्थिया लक्षमी ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निग/(एलआर) संख्या 9519/2007 पेश की। जिसमें सुनवाई के उपरान्त राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 28.01.2015 के द्वारा निम्न आदेश पारित किया है :

> पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि बलदेव सिंह का आवंटित किये जाने को आधार पर बलदेव सिंह के खातेदारी में दर्ज की गई है। नायब तहसीलदार, अनूपगढ ने विवादित भूमि का आवंटन बलदेव सिंह की नहीं किया जाना मानकर नामान्तरकरण संख्या 63 से विवादित भूमि आराजी राज दर्ज करने का आदेश दिया है। बलदेव सिंह को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है परन्तु वह उपस्थित नहीं हुए है तथा प्रार्थीया ने विवादित भूमि बलदेव सिंह से खरीदी है। ऐसी स्थिति

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

में कोई भी आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रार्थीया को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं उचित है। विवादित भूमि का आवंटन विधिवत किया गया है अथवा फर्जकारी कर बलदेव सिंह ने अपनी खातेदारी में दर्ज कराई गई है, इसकी जांच की जाना भी न्यायहित में आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सम्भागीय आयुक्त द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित करने में किसी प्रकार की अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है एवं हम इस निगरानी में कोई सार नहीं पाते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह निगरानी खारिज की जाती है एवं संभागीय आयुक्त, बीकानेर का निर्णय दिनांक 09.09.2003 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

-sd-
(आर.सी. गुप्ता)
सदस्य

उक्त मामले में यह देखा जाना है क्या अप्रार्थी बलदेव सिह पुत्र चनन सिंह को चक 24 एपीडी के मुरब्बा नम्बर 290/415 की 21 बीघा 16 बिस्वा भूमि सक्षम ऑर्थोटी द्वारा आवंटित की गई है या नहीं और क्या उसे उक्त भूमि बेचान करने का कोई वैद्य अधिकार था या नहीं?

अप्रार्थी बलदेव सिंह के अभिभाषक का यह तर्क है कि विवादग्रस्त भूमि चक 24 एपीडी का मुरब्बा नम्बर 290/415 का किला नं 1 ता 22 की कुल 21 बीघा 16 बिस्वा भूमि बलदेव सिंह को दिनांक 06.01.1979 को पुख्ता आवंटन की गई है और इसकी सनद दिनांक 15.05.1998 को सनद पट्टा जारी हो चुका है और अप्रार्थिया लक्ष्मी देवी ने उचित प्रतिफल अदा करके बलदेव सिंह से विवादग्रस्त भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की है और उक्त बैयनामा के आधार

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पर वह काबिज है और उक्त आवंटन आदेश 06.01.1979 आज भी प्रभावशील है। इसलिए नायब तहसीलदार का आदेश इंतकाल संख्या 63 दिनांक 22.11.2001 विधिसम्मत नहीं है,उसे निरस्त किय जावे और इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि विवादग्रस्त भूमि 21.16 बीघा में कोई तहसीलदार हस्तक्षेप न करें।

अपीलार्थिया के विद्वान अभिभाषक द्वारा दिये गये कथनों के सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थिया लक्ष्मी देवी पत्नि लक्ष्मण राम ने जरिये बैयनामा दिनांक 10.06.1998 से बलदेव सिंह पुत्र चनन सिह जाति हरिजन साकिन 24 एपीडी अनूपगढ के मुरब्बा नम्बर 290/415 के किला नम्बर 1 ता 4 कमाण्ड, 5 व 6 अनकमाण्ड, 7 ता 14 कमाण्ड, 15 व 16 अनकमाण्ड, 17 ता 20 कमाणड 21 में 18 बिस्वा कमाण्ड व किला नं 22 में 18 बिस्वा कमाण्ड इस प्रकार कुल 17 बीघा 16 बीस्वा कमाण्ड व 4 बीघा अनकमाण्ड कुल 21 बीघा 16 बिस्वा भूमि 1,50,000/— रूपये में बलदेव सिह पुत्र चनन सिंह से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 10.06.1998 को क्रय की है।

पत्रावली संख्या 10/1992 के अवलोकन से पाया कि अप्रार्थी बलदेव सिंह पुत्र चनन सिंह ने दिनांक 18.06.1992 को एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, रायसिहनगर को प्रेषित किया जिसमें उसने चक 24 एपीडी के मुरब्बा नम्बर 290/415 की 22 बीघा भूमि का अपने को आवंटित होना बताते हुए उक्त भूमि के किला नं 23 ता 25 की 3बीघा भूमि अनकमाण्ड रकबाराज खाली बताकर स्मालपेच में आवंटन की प्रार्थना की।

उक्त प्रार्थना पत्र पर उक्त पत्रावली संख्या 10/1992 खोली गई। इस पत्रावली में दिनांक 03.07.2012 के आदेश द्वारा तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार चक 24 एपीडी के मुरब्बा नम्बर 290/415 का किला नं 23 की 18 बिस्वा कमाण्ड, 24 व 25 का 1 बीघा 16 बिस्वा अनमाण्ड कुल 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

रकबाराज है और प्रार्थी के रकबे के साथ चिपता हुआ है और किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी ने मुरब्बा नम्बर 290/415 का कुल उक्त 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि आरक्षित दर की दुगनी दर से बलदेव सिंह पुत्र चनन सिंह को आवंटित कर दी गई।

इसी पत्रावली संख्या 28.11.2001 के आदेश में तहसीलदार के प्रतिवेदन 22.11.2001 के अनुसार तहसीलदार ने निवेदन किया कि चूंकि 24 एपीडी के मुरब्बा न. 290/415 की किला न 1 ता 22 की 4.504 हैक्टेयर कमाण्ड एवं 1.012 हैक्टरेयर अनकमाण्ड कुल 5.516 हैक्टेयर भूमि का आवंटन नहीं पाये जाने के कारण बलदेव सिह पुत्र चनन सिंह जाति हरिजन के नाम से हटाकर इंतकाल संख्या 73/15 दिनांक 22.11.2001 से अराजीराज की गई है और इसी व्यक्ति बलदेव सिंह को एसडीओ रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 03.07.1992 द्वारा चक 24 एपीडी के मुरब्बा नम्बर 290/415 के किला नं. 23 में 0.18 बीघा कमाण्ड, किला नं. 24 व 25 में 1.16 बीघा अनकमाण्ड स्माल पेच में आवंटन कर दी गई जो नियमानुसार उसे हो नहीं सकती थी। चूंकि उक्त पूर्व भूमि 5.516 हैक्टेयर का उसे आवंटन हुआ हीं नही थी। इसलिए उक्त स्माल पेच आवटन को निरस्त करने के लिए बलदेव सिंह को कारण बताओं नोटिस दिया गया। दिनांक 07.12.2001 को बलदेव सिंह की पत्नि अमरीक कौर उपस्थित आई और जवाब हेतु समय चाहा जिस पर दिनांक 11.12.2001 नियत की गई। दिनांक 11.12.2001 को बलदेव सिंह की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया **और उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने दिनांक 11.12.2001 को निम्न आदेश पारित किया:**

> पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं तथा ना ही कोई जवाब पेश किया गया। तहसीलदार, अनूपगढ की रिपार्ट से स्पष्ट जाहिर है कि अप्रार्थी बलदेव सिंह पुत्र चनन सिंह जाति हरिजन के नाम चक 24 एपीडी के मुरब्बा नम्बर 290/415 में

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मूल आवंटन नहीं है तथा यह भूमि रकबा राज है चूंकि वादग्रस्त भूमि चक 24 ए.पी.डी. का मुरब्बा नम्बर 290/415 के कि.नं. 23 ता 25 का कुल 2.14 बीघा अप्रार्थी बलदेव सिह ने स्मालपेच में इस आधार पर आवंटन करवा लिया था कि चक 24 एपीडी के मु.नं. 290/415 में 5.516 हैक्टर भूमि अप्रार्थी को आवंटित है। तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1116 दिनांक 22.11.2001 में अंकित किया है कि उक्त चक 24 एनीडी में मु.नं. 290/415 का कि.नं. 1 41 22 में 5.516 हैक्टर रकबा कभी आवंटित नहीं हुआ था इस प्रकार यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि अप्रार्थी बलदेव सिंह ने गलत तथा मिथ्या आधार पर स्मालपेच भूमि आवंटन के तहत चक 24 एपीडी का मुरब्बा नम्बर 290/415 का कि.न. 23 ता 25 में 2.14 बीघा रकबा आवंटन करवा लिया था। अतः गलत तथ्यों के आधार पर करवया गया स्मालेपेच आंवटन दिनांक 3.7.92 चक 24 एपीडी का मुरब्बा नम्बर 290/415 के कि.नं. 23 ता 25 का 2.14 बीघा रकबा निरस्त किया जाता है। सम्बन्धित तहसीलदार को लिखा जावे कि उक्त भूमि का कब्जा बहक सरकार लेकर रिकार्ड में रकबा राज का अमल दरामद किया जावे। अप्रार्थी द्वारा अवैध लाभ जो उसने आवंटन से लेकर आज तक उठाया है, पर मावान कायम कर वसूल करें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपजिला कलैक्टर
अनूपगढ़

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त आदेश दिनांक 21.12.2001 के अनुसार बलदेव सिंह को विवादग्रस्त भूमि मुरब्बा नं 290/415 में 5.516 हैक्टर भूमि अप्रार्थी बलदेव सिह को कभी आवंटन हुआ ही नहीं था। इस प्रकार बलदेव सिंह ने गलत तथा मिथ्या तथ्यों के आधार पर उक्त 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्माल पेच में अलॉट करवा ली थी, जिसे उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ द्वारा निरस्त कर दिया गया, जो सही किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 26.08.2019 को इस आश्य का प्रस्तुत किया था कि चक 24 एपीडी के मुरब्बा नम्बर 290/415 की 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन अंत्योदय योजना के तहत मिसल नम्बर 641/06.01.1979 में हुआ है, जिसमें सक्षम अधिकारी द्वारा बलदेव सिह को विवादग्रस्त भूमि का पुख्ता आवंटन दिनांक 06.01.1979 को किया गया है, जिसकी सभी किश्तें जमा करवाने पर दिनांक 15.05.1998 को सनद जारी की गई हैं इसलिए आवंटन की सतता के सम्बन्ध में बलदेव सिंह को हुए आवंटन की मूल पत्रावली 641/06.01.1979 तलब की जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 26.08.2019 को अपीलर्थी अभिभाषक को सुनकर निरस्त कर दिया गया क्योंकि प्रकरण संख्या 641/06.01.1979 पहले से ही प्राप्त होकर संलग्न है जो बलदेव सिह के नाम से न होकर एक अन्य आवंटी दर्शन सिंह पुत्र हजारा सिह के नाम से है।

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने अपने आदेश दिनांक 21.11.2001 से नायब तहसीलदार, अनूपगढ को निम्न प्रकार से आदेश दिया गया:

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

कार्यालय उप जिला कलक्टर, अनूपगढ

क्रमांक : आवंटन/2001/2121 दिनांक 21.11.2001

नायब तहसीलदार,
तहसील, अनूपगढ

विषय : अंतोदयी पत्रावली संख्या 641 दिनांक 06.01.1979 चक 24 एपीडी मुरब्बा नम्बर 290/415
प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक 1134 दिनांक 20.11.01

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि पत्रावली संख्या 641/79 निर्णय दिनांक 24.01.1979 दर्शन सिंह पुत्र हजारा सिंह जाति मजहबी साकिन 8 एनएनबी की है जिसके अनुसार दर्शन सिंह पुत्र हजारा सिंह का चक 2 एफ एम का मु.नं. 167/47 में 12.10 कमाण्ड अंतोदय में आवंटन दिनांक 24.01.1979 को किया गया था, को निरस्त कर दिनांक 02.04.1979 को चक 33ए का मु.नं. 351/432 के 12.10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था।

अतः पत्रावली संख्या 641/79 दर्शन सिंह पुत्र हजारा सिंह जाति मजबी साकिन 8 एनएनबी को दिनांक 06.01.179 से चक 24 एपीडी का मुरब्बा नम्बर 290/415 के किला नम्बर 1 से 22 का 22.00 बीघा का आवंटन होना नहीं पाया जाता है एवं **न ही बलदेव सिंह पुत्र चनन सिंह मजबी साकिन चक 24 एपीडी को मुरब्बा नम्बर 290/415 में 22.00 बीघा का आवंटन मि.नं 641/79 निर्णय दिनांक 06.01.1979 से होना पाया जाता है।**

-sd-
उपजिला कलक्टर
अनूपगढ

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उक्त आदेश से स्पष्ट है कि पत्रावली संख्या 641/06.01.1979 बलदेव सिंह के नाम से होकर दर्शन सिंह पुत्र हजारा सिंह के नाम से किये गये भूमि आवंटन से है। इसप्रकार बलदेव सिंह पुत्र चनन सिंह को उक्त विवादग्रस्त भूमि आवंटन होना नहीं पाई जाती हैं इसप्रकार उसके द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि का फर्जी आवंटन आदेश बनाया गया उसके आधार पर ही सारी फर्जी कार्यवाही की गई है और उस फर्जी आवंटन के आधार पर ही स्माल पेच में गलत रूप से आवंटन करवाया गया था और विवादग्रस्त भूमि बैयनामा दिनांक 10.06.1998 से बलदेव सिंह पुत्र चनन सिह जाति हरिजन साकिन 24 एपीडी अनूपगढ के द्वारा मुरब्बा नम्बर 290/415 के किला नम्बर 1 ता 4 कमाण्ड, 5 व 6 अनकमाण्ड, 7 ता 14 कमाण्ड, 15 व 16 अनकमाण्ड, 17 ता 20 कमाणड 21 में 18 बिस्वा कमाण्ड व किला नं 22 में 18 बिस्वा कमाण्ड इस प्रकार कुल 17 बीघा 16 बीस्वा कमाण्ड व 4 बीघा अनकमाण्ड कुल 21 बीघा 16 बिस्वा भूमि का बेचान लक्ष्मीदेवी को अवैध रूप से किया गया है। बलदेव सिंह के विरूद्ध उक्त फर्जी आवंटन के सम्बन्ध में **तहसीलदार द्वारा द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 491/28.11.2001, जो अन्तर्गत धारा 420–467–468–471 आईपीसी के अन्तर्गत पुलिस थाना अनूपगढ में दर्ज करवाई गई है जो माननीय न्यायालय मजिस्ट्रेट अनूपगढ के न्यायालय में मुकद्दमा संख्या 413/2006 दर्ज है।**

विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार अनूपगढ से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 23.01.2017 के आधार पर भी फर्जी आवंटन के सम्बन्ध में उक्त तथ्य सही पाए गए है और क्रेता लक्ष्मी देवी पत्नि लक्ष्मणराम द्वारा बतौर अतिक्रमी दिनांक 10.06.1998 से काश्त की जा रही है और किसी सक्षम न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभाव में नहीं है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि उक्त विवादग्रस्त भूमि का कोई वैद्य रूप से कोई आवंटन आदेश बलदेव सिंह पुत्र चनन सिंह के नाम से जारी नहीं हुआ है इसलिए उक्त वादग्रस्त भूमि में उसे कोई वैद्य अधिकार प्राप्त नहीं होता है और उसके द्वारा आगे लक्ष्मी देवी के पक्ष में किये बैयनामा दिनांक 10.06.1998 से लक्ष्मी देवी को भी कोई विधिक अधिकार एवं स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है। बलदेव सिंह के वादग्रस्त भूमि के 22 बीघा भूमि के फर्जी आवंटन व उसके आधार पर आगे बलदेव सिंह द्वारा स्मालपेच के रूप में भी किये गये 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि के आवंटन आदेश पहले से ही निरस्त किये हुए है, जिन्हें बलदेव सिंह द्वारा कभी भी किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ के आदेश दिनांक 21.11..2001 के द्वारा बलदेव सिंह का विवादग्रस्त भूमि का फर्जी आवंटन होने के परिणामस्वरूप नायब तहसीलदार, अनूपगढ द्वारा इंतकाल संख्या 63/22.11.2001 से रकबाराज दर्ज करने का जो आदेश दिया गया है वह विधिवत् है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

विवादग्रस्त भूमि के पूर्व आवंटी धुडी देवी पत्नि धन्ना नायक के वारिसान सोहन लाल वगैरहा का यह कथन कि पूर्व में उक्त विवादग्रस्त भूमि धुडी देवी के पुख्ता आवंटन थी और उसके द्वारा पूर्ण किश्तें जमा न करवाने के कारण खारिज कर दी थी, से बकाया किश्तें जमा करवाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि का आवंटन उनके नाम से बहाल किया जावे, स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि सेल रजिस्टर में अंकित नोट के अनुसार किश्ते के अभाव में दिनांक 01.01.1987 को खारिज करना अंकित है और दूसरा इसी में एसडीएम के पत्रांक 1933 दिनांक 31.10.1988 के अनुसार रकबा स्वयं के कब्जा में नहीं होने का नोट अंकित होने के कारण बहाल नहीं किया जा सकता। इसलिए इस सम्बन्ध में धुडी मृतक के

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

वारिसान सोहनलाल वगैरहा की उक्त रकबे को बहाल करने के सम्बन्ध में प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर **लक्ष्मी देवी पत्नि लक्ष्मण राम की अपील खारिज की जाती है** और **नायब तहसीलदार, अनपूगढ का विवादग्रस्त भूमि को रकबाराज दर्ज करने के सम्बन्ध में पारित आदेश इंतकाल संख्या 63/22.11.2001 को बहाल रखा जाता है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है** और बलदेव सिंह के विरूद्ध फर्जी आवंटन के सम्बन्ध में **एफ.आई. संख्या 491/28.11.2001 से कार्यवाही न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, अनूपगढ में विचाराधीन है।** इसलिए अब इस मामले में तहसीलदार अनूपगढ की रिपोर्ट दिनांक 17.09.2012 को मध्यनजर रखते हुए आगे किसी अन्य के विरूद्ध कार्यवाही करना उचित नहीं होगा। **आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ, तहसीलदार, अनूपगढ एवं नायब तहसीलदार, अनूपगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर **खुले न्यायालय में** सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर